न्यायालयः अपर सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम. हसनपुर, जनपद अमरोहा।

उपस्थितः श्री श्रीपाल सिंह, उ०प्र०न्यायिक सेवा

परिवाद सख्या– १८२९/२०१२

सोनू.....प्रति.....

१. जयपाल पुत्र घासी उम्र लगभग ४५ वर्ष

२. प्रकाश पुत्र घासी उम्र लगभग ४७ वर्ष

३. वीर सिंह पुत्र धनीराम उम्र लगभग २५ वर्ष

निवासीगण ग्राम झुण्डी माफी थाना हसनपुर

४. चिरन्जी पुत्र सागर उम्र लगभग ७० वर्ष

निवासी ग्राम मटैना थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

धारा–३२३,३४१,३९४,४२७,५०४,५०६ भा.द.स.

थाना– आदमपुर

निर्णय

उपरोक्त परिवाद में न्यायालय द्वारा अपने तलबी आदेश दिनांकित १२.०३.२०१२ के द्वारा अभियुक्तगण जयपाल, प्रकाश, वीर सिंह, चिरन्जी को धारा ३२३,३४१,३९४,४२७,५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया है।

संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि, परिवादी दिनांक १४.१२.२०११ को मुंसफी हसनपुर में अपने मुकदमें की तारीख पर आया था। परिवादी तारीक करके साईकिल से अपने घर को वापस जा रहा था। परिवादी जैसे ही समय करीब शाम के ४.०० बजे रहरा हसनपुर मार्ग पर ग्राम हथियाखेड़ा में पहुंचा तो वहां पर परिवादी को उपरोक्त मुल्जिमान खड़े मिले। परिवादी को गन्दी–२ गालियां देने लगे। परिवादी ने गालियां देने को मना किया तो सभी मुल्जिमान ने मिलकर परिवादी को लात घूसों से मारापीटा तथा परिवादी की साईकिल तोड़ कर लगभग ५००/–रू० का नुकसान कर दिया। मारपीट के दौरान मुल्जिमान जयपाल व प्रकाश ने परिवादी की जेब से १२५०/–रू० लूट लिये। मुल्जिमान जाते समय परिवादी को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। परिवादी थाने गया थाने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी।

न्यायालय द्वारा परिवादी, परिवादी व उसके गवाहान के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण जयपाल, प्रकाश, वीर सिंह, चिरन्जी को आदेश दिनांक १२.०३.२०१२ के द्वारा धारा ३२३,३४१,३९४,४२७,५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये और अपनी जमानतें करायीं।

परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा २४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी.डब्लू–१ सोनू (परिवादी स्वयं) को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्षी परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में धारा २४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित नहीं कराया गया है। तदोपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक ०१.०४.२०१४ को धारा ३२३,३४१,३९४,४२७,५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करते हुए परीक्षण की मांग की।

परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी.डब्लू.–१ सोनू (परिवादी स्वयं) को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्षी परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित नहीं कराया गया है।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने घटना को गलत बताया तथा अपनी सफाई एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्तगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२३,३४१,३९४,४२७,५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है जिसे पूर्ण एवं सन्देह से परे साबित करने का भार पर परिवादी पक्ष पर है।

साक्षी पी.डब्लू–१ सोनू (परिवादी स्वयं) ने धारा २४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य देते हुए कथन किया है कि,'' दिनांक १४.१२.२०११ को मैं मुंसफी हसनपुर से अपने मुकदमें की तारीख करके साईकिल से अपने गांव को वापस जा रहा था। जैसे ही मैं शाम को ४.०० बजे रहरा रोड पर ग्राम हथियाखेड़ा पहुंचा तो वहां मुल्जिमान जयपाल, प्रकाश, वीर सिंह, चिरन्जी मिले। मुझे देखते ही गन्दी–२ गालियां देने लगे और मेरी साईकिल तोड़ दी। जिससे ५ सौ० रूपये का नुकसान हो गया। मारपीट के दौरान मुल्जिमान जयपाल व प्रकाश ने मेरी जेब से १२५०/–रू० लूट लिये। मुझे लेखराज व अन्य लोगों ने बचाया। मुल्जिमान जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

साक्षी पी.डब्लू–१ सोनू (परिवादी स्वयं) ने अपने धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में कथन किया है कि,'' दिनांक १४.१२.२०११ को समय ४.०० बजे शाम को मुल्जिमान जयपाल, प्रकाश, वीर सिंह, चिरन्जी ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही मुझे रोका न ही मेरे साथ लूट पाट की। मेरी साईकिल नहीं तोड़ी थी। मुझे गन्दी–२ गालियां नहीं दी। न ही जान से मारने की धमकी दी। मुल्जिमान से मेरा समझौता हो गया है।

प्रस्तुत मामले में साक्षी पी.डब्लु–१ सोनू (परिवादी स्वयं) के रूप में धारा २४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यद्यपि परिवाद में अंकित कथनों का समर्थन किया है परन्तु साक्षी पी.डब्लू–१ सोनू (परिवादी स्वयं) द्वारा धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये बयान में यह स्वीकार किया गया है कि मुल्जिमान ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही किसी प्रकार की लूट कारित की तथा न ही मुल्जिमान ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। मुल्जिमान ने उसकी साईकिल नहीं तोड़ी और न ही गन्दी–२ गालियां दी। साक्षी ने मुल्जिमान से समझौता होना भी स्वीकार किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लू–१ स्वयं परिवादी सोनू द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवाद में अंकित तथ्यों का समर्थन नहीं किया गया है। अन्य किसी साक्षी को परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय की राय में परिवादी पक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है।

निष्कर्षतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण जयपाल, प्रकाश, वीर सिंह, चिरन्जी को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा– ३२३,३४१,३९४,४२७,५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में जमानत पर है। धारा ४३७–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानत नामें व बंध पत्र निर्णय की तिथि से ६ माह की अवधि तक प्रभावी रहेगें। तत्पश्चात किसी प्रतिकूल आदेश के अभाव में उन्मोचित समझे जायेगें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

२७.०९.२०१६

(श्रीपाल सिंह)
अपर सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
२७.०९.२०१६

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

२७.०९.२०१६

(श्रीपाल सिंह)
अपर सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
२७.०९.२०१६